HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 1933/2026

Rajesh Kumar S/o Shri Shrinarayan Gurjar, Aged About 43 Years, Resident Of Sanjhariya, District -Jaipur (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Secretary Revenue Department Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
2. The District Collector, District- Jaipur, Rajasthan.
3. The Additional District Collector And Adm, Dudu, District Jaipur, Rajasthan.
4. The Sub-Divisional Officer (Sdm), Dudu, District Jaipur, Rajasthan.
5. The Executive Officer, Nagar Palika Dudu, District Jaipur, Rajasthan.
6. Amichand S/o Bhanwarlal Choudhary, Resident Of Tehsil Dudu, District Jaipur.
7. Mukesh Choudhary S/o Ramdev Choudhary, Resident Of Tehsil Dudu, District Jaipur.
8. Maluram S/o Banshilal Yadav, Resident Of Tehsil Dudu, District Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Bhardwaj Mr. Ayush Malik
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

<u>Order</u>

<u>08/05/2026</u>

याची की ओर से यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत **प्रतिवादीगण/अयाचीगण** को महादेव नगर योजना दूदू में स्थित सार्वजनिक मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने हेतु पेश की गई है।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि अयाचीगण/प्रतिवादीगण द्वारा काश्तकारी भूमि के संबंध में कार्यवाही की मांग की है, जिसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अतः अयाची/प्रतिवादी को निर्देश दिया जावे कि रास्ता खुलवाने के संबंध में जो जांच उपखण्ड अधिकारी के यहां लंबित है, वह शीघ्र पूर्ण करें।

सुना गया।

बहस के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं, वह जांच लम्बित है।

अतः अयाची संख्या–1 लगायत 5 को निर्देशित किया जाता है कि वे रास्ते के संबंध में जो जांच अयाची संख्या–4 उपखण्ड अधिकारी के यहां लंबित है, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करें।

यह याचिका इसी अनुसार निस्तारित की जाती है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /08